"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2008—फाल्गुन 17, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 1st March 2008

SHORT-TENDER NOTICE

CORRIGENDUM

No. GB-IV/Paper-(7) /2007-08/319.— In the reference to the advt. GB-IV paper-(7) 2007-2008/384 dtd. 26-02-08 published in News Papers and downloaded on website www.etendersindia. net. informed that in Tender Form "Terms of Tender" condition No. 2 (P) is deleted and other terms conditions etc. are as it is.

Note :- Tender form can be downloaded from www. etendersindia. net.

Sd/-
(N. S. Mandavi)
Director,
Govt. Printing and Stationery Chhattisgarh
Raipur (C. G.)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, धमतरी, जिला-धमतरी (छ. ग.)

धमतरी, दिनांक 7 फरवरी 2008

प्रकरण क्रमांक 01 ब/113 वर्ष 2007-2008.—आवेदक दीपक लखोटिया पिता स्व. मोहनलाल लखोटिया निवासी सिहावा रोड धमतरी एवं अन्य 08 के द्वारा "वाणीश्री चेरिटेबल ट्रस्ट" धमतरी का छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शाई संपत्ति को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक 10-03-2008 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करे और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा मेरे समक्ष उपस्थित होवे, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आवेदन/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. आवेदक/ट्रस्ट के नाम पर सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया धमतरी में बचत खाता क्रमांक 20351 में ग्यारह हजार रुपये मात्र जमा.

ए. के. शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगांव

डोंगरगांव, दिनांक 23 फरवरी 2008

संशोधन

क्रमांक/परि./2008/02.—परिसमापनाधीन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 90 के समस्त देनदारी एवं लेनदारी का निराकरण किया जाना है. संस्था की अतिरिक्त भूमि खसरा नं. 143/5, 143/8 का टुकड़ा लगभग 35 डिसमिल जो बजरंगपुर नवागांव राजनांदगांव में स्थित है, को विक्रय किया जाना है. व्यक्ति/संस्था से निविदा संस्था के नियमों एवं शर्तों के तहत प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के अंदर संस्था के परिसमापक से प्रारूप प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकते हैं तथा इस संबंध में किसी को कोई भी आपत्ति या प्रस्ताव हो तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुझे प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी.

बी. आर. सोनी,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.